

ई-मेल / स्पीड-पोस्ट
शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
अनुभाग-4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी(नाम से),
उत्तर प्रदेश।

संख्या: **E3678/4-6ई/2010**

दिनांक: **02-6-2010**

विषय: आम आदमी बीमा योजना के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक "आम आदमी बीमा योजना" का क्रियान्वयन हेतु मा० परिषद द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं :-

आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य एवं प्रारम्भ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी ग्रामीण परिवार के कमाऊ व्यक्ति/मुखिया की मृत्यु होती है, और उस व्यक्ति के नाम से, जिसकी मृत्यु हुई है, कोई भूमि खाते में दर्ज नहीं थी तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों को तात्कालिक आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 2-10-2007 से घोषित की गयी "आम आदमी बीमा योजना" को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से वर्ष 2008-09 में लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को दिनांक 1 नवम्बर, 2008 से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

आम आदमी बीमा योजना हेतु पात्रता

इस योजना के लिए उ०प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 के अनुसार ऐसे ग्रामीण भूमिहीन "जो या जिसके (पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो) या अवयस्क बच्चा भूमिधर या असामी के रूप में कोई भूमि धारण नहीं करता हो और आबंटन के तुरन्त पूर्वगामी 2 वर्षों के अन्दर इस रूप में कोई भूमि धारण नहीं की हो" तथा "बीमित होने वाला लाभार्थी एवं उसका परिवार नियमित रूप से गांव में ही निवास करता हो" इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य ही बीमा के लिए पात्र हैं। यदि किसी परिवार के मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक है, तो वहां उस परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

आयु प्रमाण-पत्र

आयु प्रमाण-पत्र के लिए राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता सूची या परिचय-पत्र (संदेह की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र) मान्य होगा।

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित सदस्य का प्रीमियम का भुगतान

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य/लाभार्थी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना है, बल्कि प्रति मुखिया सदस्य रू0 200/- का वार्षिक प्रीमियम होगा, जिसका 50% राज्य सरकार एवं 50% प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से की जायेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा चिन्हांकित पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया सदस्यों की संख्या संबंधी सूचना परिषद को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराना होगा, जिसके आधार पर परिषद द्वारा 100/- प्रति मुखिया सदस्य की दर से भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। अतः जिलाधिकारी इस संबंध में नियमानुसार पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया सदस्यों की त्रुटिरहित सही सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम, 30 हजरतगंज, लखनऊ व परिषद को निर्धारित प्रपत्रों पर भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत किये गये बीमा की अवधि

आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार/उ0प्र0 शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठावान योजना है। यह योजना वर्षानुवर्ष के लिये संचालित है, जिसमें बीमित प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करके नवीनीकरण के द्वारा किया जाता है। योजना में बीमित सदस्य निर्धारित पात्रता की परिधि से प्रतिकूल बात आने यथा मृत्यु होने या 59 वर्ष की अवधि पूर्ण करने अथवा जिन्होंने भूमि कय कर ली हो या बतौर उत्तराधिकार से भूमि प्राप्त कर लिये हों अथवा अन्य श्रोतों से भूमि प्राप्त कर ली हो या ग्रामीण भूमिहीन की श्रेणी में परिवर्तन होने तक प्रभावी रहेगी।

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित सदस्य/परिवार को हित लाभ

बीमित मुखिया सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु की दशा में रू0 30,000/- तथा दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में रू0 75,000/- देय है। पूर्णतया अपंग होने पर रू0 75,000/- तथा आंशिक अपंगता की दशा में रू0 37,500/- देय होता है।

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित सदस्य के बच्चों के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति-लाभ

इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये मुफ्त छात्रवृत्ति का लाभ भी उपलब्ध है। इसमें 9वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रति माह रू0 100/- की छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को रू0 100/- प्रतिमाह की दर से देय होगी।

आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी

इस योजना के संचालन हेतु शासन स्तर पर राजस्व विभाग नोडल विभाग है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिला स्तर जिलाधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(प्रशा0) नोडल अधिकारी होंगे। इसीप्रकार तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। ग्राम स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल इस योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

आम आदमी बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार/उ0प्र0 शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जा रही है, जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार तहसील दिवसों, ग्राम पंचायतों, संगोष्ठियों एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की बैठकों में किया जाय, ताकि इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता एवं हित लाभ परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु विकास खण्ड/तहसील/जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों का उत्तरदायित्व :-

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत नामित प्रत्येक नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने अधीनस्थ क्रमशः ग्राम/विकास खण्ड/तहसील/जनपद स्तर पर योजना से संबंधित पात्र मुखिया सदस्यों का बीमा एवं हित लाभ के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एवं सी0डी0 भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध करायेंगे तथा हित लाभ/दावों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पालिसी प्रमाण-पत्रों व दावों से संबंधित चेक मुखिया सदस्यों/नामिनी को तहसील दिवस में उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तहसील दिवस में प्रमाण-पत्र/चेक वितरण से जो मुखिया सदस्य/नामिनी रह जायेंगे, उन्हें ग्राम स्तर पर संबंधित लेखपाल/नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। योजना से संबंधित समस्त अभिलेख स्थायी तौर पर तहसील स्तर पर रखा जायेगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त चेक एवं वितरण/उपभोग प्रमाण-पत्र का लेखा-जोखा ग्रामवार लेखपाल स्तर पर तथा तहसील एवं जनपद स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा स्थायी अभिलेख के साथ रखा जायेगा।

लेखपाल द्वारा चिन्हित सभी भूमिहीन पात्र परिवार के मुखिया सदस्यों की सूची में यदि किसी ऐसे भूमिहीन पात्र परिवार के मुखिया सदस्य का नाम जान-बूझ कर छोड़ दिया गया हो, जो वास्तव में उक्त योजना का लाभ पाने का हकदार है, तो लेखपाल से उच्च स्तर के नोडल अधिकारी का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत पर अपने स्तर से इस आशय का सत्यापन सुनिश्चित करते हुए प्रकाश में आये नियमानुसार पात्र मुखिया सदस्य का नाम उक्त चिन्हांकित सूची में सम्मिलित करायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार अपने क्षेत्र में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्रामवासी एवं प्रधान से योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर लेखपाल का उत्तरदायित्व :-

आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु लेखपाल का नोडल अधिकारी के रूप में निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

(i)-पात्र मुखिया सदस्य का चिन्हांकन एवं प्रेषण:- इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर प्रत्येक लेखपाल का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र के ग्रामवार सभी पात्र भूमिहीन परिवार के मुखिया

सदस्य का बीमा हेतु नियमानुसार चिन्हित करेंगे तथा उसके 9वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत् अधिकतम् दो विद्यार्थी का नाम सहित विस्तृत विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर तैयार करके उसकी सी0डी0 सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु तहसीलदार को उपलब्ध करायेंगे :-

भारतीय जीवन बीमा निगम के उपयोगार्थ "बीमा प्रपत्र"
आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमा हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने संबंधी पात्रता सूची :-

ग्राम का नाम -----तहसील का नाम-----जनपद का नाम-----

क्र सं 0	परिवार के मुखिया का नाम	लिंग	उम्र	पेशा	पिता/ पति का नाम	दावा हेतु नामित व्यक्ति / वारिस का नाम	उ म्र	परिवार के मुखिया से संबंध	मुखिया के परिवार में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का नाम व कक्षा	अभ्यु क्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपरोक्तानुसार ग्रामवार चिन्हित प्रत्येक मुखिया सदस्य का क्रम संख्या, नाम, दावा हेतु नामित व्यक्ति/वारिस का नाम तथा अध्ययनरत् दो बच्चों के नाम की एक सूची लेखपाल द्वारा "आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित परिवारों का विवरण" से संबंधित एक स्थायी रजिस्टर निम्न प्रारूप पर सदैव अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जायेगा।

(ii)–लेखपाल की अभिरक्षा में सदैव के लिये रखे जाने हेतु “आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित परिवारों का विवरण” से संबंधित स्थायी रजिस्टर:–

ग्राम का नाम			तहसील का नाम			जनपद का नाम					
क्र	परिवार के मुखिया का नाम	लिंग	उम्र	पेशा	पिता/पति का नाम	दावा हेतु नामित व्यक्ति / वारिस का नाम	उम्र	परिवार के मुखिया से संबंध	मुखिया के परिवार में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का नाम व कक्षा	पालिसी परिचय-पत्र संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

दावों के प्रेषण का दिनांक	भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त चेक संख्या एवं दिनांक	वितरण का दिनांक	अभ्युक्ति
13	14	15	16

(iii)–बीमित सदस्य का पालिसी परिचय-पत्र/चेकों का वितरण

:- भारतीय जीवन बीमा निगम बीमित प्रत्येक सदस्यों का पालिसी परिचय-पत्र एवं लाभार्थियों के देय चेक जनपद स्तर के नोडल अधिकारी (अपर जिलाधिकारी, वि०रा०/प्रशा०) को उपलब्ध करायेंगे। जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पालिसी परिचय-पत्र /चेक संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध करायेंगे तथा तहसीलदार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पालिसी परिचय-पत्र/चेकों का वितरण तहसील दिवस में बीमित सदस्य/नामिनी को किया जायेगा। तहसील दिवस में जो पालिसी परिचय-पत्र/चेक वितरण से रह जायेंगे, वह बीमित सदस्य/नामिनी के निवास स्थान पर उन्हें उपलब्ध करायेंगे। वितरण से पूर्व लेखपाल द्वारा रखे गये स्थायी रजिस्टर में बीमित सदस्य के सम्मुख पालिसी संख्या अंकित किया जायेगा।

(iv)–बीमित सदस्य/परिवार का हित-लाभ/दावों का प्रेषण :-

दावों (Claim) से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित संलग्नक प्रपत्र परिशिष्ट-V, व छात्रवृत्ति से संबंधित परिशिष्ट- IX एवं X पर

मुखिया सदस्य/लाभार्थियों से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार करके भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध करायेंगे।

(क) दावे की प्रक्रिया:-

मृतक के लाभार्थी को मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र, दावा प्रपत्र एवं एल0आई0सी0 द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र नोडल एजेंसी के पास जमा करना होगा, जिसके नोडल एजेंसी दावे के लिये भा0जी0बी0 निगम(एल0आई0सी0) की जिला स्तर पर अधिकृत शाखा के पास भिजवायेगी। एल0आई0सी0 लाभार्थी के नाम एकाउण्ट पेयी चेक जनपद स्तर के नोडल अधिकारी को प्रेषित करेगी, जिसका वितरण तहसील दिवस में किया किया जायेगा। दुर्घटना द्वारा मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र के अलावा एफ0आई0आर0 (F.I.R.), पुलिस जाँच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। अपंगता हित-लाभ का दावा करने के लिये दुर्घटना का दस्तावेजी प्रमाण-पत्र तथा सरकारी सिविल सर्जन/सरकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल प्रमाण-पत्र जिसमें दुर्घटना के कारण हुई बीमित व्यक्ति के हाथ/पैर की हानि का सम्पूर्ण/आंशिक अपंगता का विवरण हो, को भी जोड़ा जाना चाहिये।

दुर्घटना से हुई मृत्यु/अपंगता का दावा दुर्घटना से 180 दिनों के भीतर ही होनी चाहिए। शारीरिक आघात तीव्र, वाह्यरूपी एवं दृष्टिदर्शन हो और दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारणों से न हो।

(ख) छात्रवृत्ति दावा भुगतान प्रक्रिया :-

1-शिक्षा सहयोग योजना (भारत सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति देय होगी)।

2-नोडल एजेंसी विद्यार्थियों की पहचान करेगी। बीमित सदस्य, जिनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिये योग्य होंगे, उन्हें एक आवेदन पत्र भरकर नोडल एजेंसी के पास जमा करना होगा। नोडल एजेंसी ऐसे लाभार्थी विद्यार्थियों की सूची भा0जी0बी0 निगम (एल0आई0सी0) की जिला स्तर पर अधिकृत शाखा को सम्पूर्ण विवरण के साथ जमा करायेगी, जिसमें विद्यार्थी का नाम, पाठशाला का नाम, सदस्य का नाम, मास्टर पालिसी नम्बर, सदस्यता नम्बर आदि जैसी बाते शामिल होंगी।

3-हर 6 महीने में एल0आई0सी0 नोडल एजेंसी के नाम का एक एकाउण्ट पेयी चेक विद्यार्थियों के नाम की सूची के साथ देगी। इस रकम को नोडल एजेंसी योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को भुगतान करेगी। अगली छमाही के लिये छात्रवृत्ति के लिये दावा करने से पहले छात्रवृत्ति के इस्तेमाल सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(v)-बीमित सदस्य/परिवार का हित लाभ/चेकों का वितरण :-

दावों (Claim) से संबंधित तहसीलदार से प्राप्त चेक का वितरण तहसील दिवस में बीमित सदस्य/नामिनी को किया जायेगा। तहसील दिवस में जो चेक वितरण से रह जायेंगे, वह उसके निवास पर उन्हें उपलब्ध करायेंगे। वितरण से पूर्व लेखपाल

द्वारा रखे गये स्थायी रजिस्टर में बीमित सदस्य के सम्मुख चेक संख्या एवं धनराशि अंकित किया जायेगा तथा वितरण के पश्चात् तहसीलदार का सतिथि हस्ताक्षर एवं उनके पठनीय नाम अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित संलग्नक प्रपत्र परिशिष्ट— XI छात्रवृत्ति से संबंधित वितरण/उपभोग प्रमाण-पत्र पूर्ण करके रखा जायेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित तहसील में सुरक्षित रखने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) बीमित सदस्य का नाम हटाने एवं नये मुखिया सदस्य का

नाम बढ़ाया जाना :-(क) लेखपाल द्वारा ग्राम स्तर पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे ग्रामीण भूमिहीन नवसृजित परिवार का मुखिया सदस्य, जो योजना की पात्रता पूरी करता हो, नये मुखिया सदस्य को आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमा हेतु चिन्हांकित किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र पर भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) लेखपाल द्वारा ऐसे बीमित मुखिया सदस्य जो 59 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों अथवा जिन्होंने भूमि कय कर ली हो या बतौर उत्तराधिकार से भूमि प्राप्त कर लिये हों अथवा अन्य श्रोतों से भूमि प्राप्त कर ली हो या मृत्यु हो गयी हो या योजना के पात्रता की परिधि में न आता हो, उनका नाम स्थायी रजिस्टर से पृथक करते हुए इसकी सूचना पूर्ण विवरण सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि शासन को अगले वित्तीय वर्ष में इनके नवीनीकरण में वित्तीय प्रीमियम का भुगतान न करना पड़े। इसकी सूची संबंधित लेखपाल के पास अभिलेखों में हमेशा के लिए रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित ग्राम प्रधान को दी जायेगी, ताकि समय-समय पर अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान इसका भी सत्यापन किया जा सकें।

आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट का परिषद को भेजा जाना :-

आम आदमी बीमा योजना से संबंधित चिन्हांकित ग्रामीण भूमिहीन परिवार के पात्र मुखिया सदस्यों के बीमा एवं हित लाभ/दावों के भुगतान से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजी गयी सूचना एवं सी0डी0 परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उक्त विषयक आंकड़ों संबंधित सूचना जनपद स्तर पर उपलब्ध "रेवेन्यू साफ्ट" पर फीड कर अद्यावधिक किया जायेगा तथा निम्नलिखित प्रपत्र-1 एवं 2 पर हस्ताक्षरयुक्त त्रुटिरहित सही सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-1

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत शासन/परिषद को भेजने संबंधी प्रगति विवरण :-


जनपद का नाम				माह का नाम			
क्र० सं०	योजना के अन्तर्गत विगत माह तक चयनित/पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों की कुल संख्या	योजना के अन्तर्गत माह में चयनित/पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों की संख्या	योजना के अन्तर्गत चयनित/पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों की कुल संख्या (कालम 2 एवं 3 का योग)	कालम-4 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा हेतु पात्र मुखिया सदस्यों के नाम की सूची/सी०डी० भेजने की कुल संख्या	कालम-5 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितने पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों को बीमा पालिसी उपलब्ध करायी गयी, की कुल संख्या	कालम-4 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपात्रता के कारण निरस्त की गयी कुल संख्या	कालम-4 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा पालिसी जारी करने हेतु अवशेष मुखिया सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र-2

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत हित लाभ/दावे से संबंधित शासन/परिषद को भेजने संबंधी प्रगति विवरण :-

जनपद का नाम						माह का नाम					
क्र० सं०	वर्गीकरण	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विचारा धीन दावे की संख्या	वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत दावे की संख्या	कुल दावे कालम 3 एवं 4 का योग	वित्तीय वर्ष में कुल निस्तारित दावे की संख्या	विचारा धीन दावे की कुल संख्या	निरस्त दावे की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष में भुगतान की गयी कुल धनराशि	योजना के प्रारम्भ से क्रमिक रूप से निस्तारित दावे की संख्या	योजना के प्रारम्भ से क्रमिक रूप से भुगतान की गयी कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मृत्यु दावे										
	दुर्घटना मृत्यु दावे										
	विकलांगता सम्बन्धी दावे										
	छात्रवृत्ति										

कृपया उपरोक्तानुसार आम आदमी बीमा योजना का — ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर पर तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(संजीव दूबे)


आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस पत्र की प्रति मय संलग्नकों सहित अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए "आम आदमी बीमा योजना" का अपने स्तर से भी नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।
- 3- जोनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, 16/98, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर।
- 4- मण्डल प्रबन्धक (पे0 एण्ड जी0एस0), भारतीय जीवन बीमा निगम, 30 हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से


(विजय कुमार यादव)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।



परिशिष्ट-V

भारतीय जीवन बीमा निगम

आम आदमी बीमा योजना

मास्टर पालिसी संख्या आ0आ0बी0यो0 /

/
दावा प्रपत्र

(Claim Form)

भाग-अ (लाभार्थी द्वारा पूर्ण किया जाना है)

1. मृतक सदस्य का नाम व पता :

2. नोडल एजेंसी का नाम व पता :

3. सदस्यता संख्या :

4. योजना में प्रवेश की तिथि :

5. पिता/पति का नाम :

6- (अ) मृत्यु की तिथि :

(ब) मृत्यु की तिथि पर आयु :

7- (अ) मृत्यु का स्थान :

(ब) मृत्यु का कारण :

8. नामित व्यक्ति का नाम :

9. नामित व्यक्ति का पूर्ण पता :

10. बीमित सदस्य के साथ सम्बन्ध :

11. बैंक का नाम व पता और बचत बैंक खाता संख्या

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूपेण सत्य हैं ।

साक्षी: हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

स्थान: _____

तिथि: _____

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

भाग-ब : (नोडल एजेंसी द्वारा पूर्ण किया जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूपेण सही हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मृतक जिला राज्य.....का निवासी था, जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष की थी और आम आदमी बीमा योजना का सदस्य था । प्रमाणित है कि लाभार्थी का विवरण सत्यापित है ।

मोहर

नोडल एजेंसी / मास्टर पालिसी धारक
के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

भाग-स :

प्राप्ति रसीद

हम.....एतद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से उपरोक्त मास्टर पालिसी के अन्तर्गत सदस्य के जीवन पर देय सभी दावों के पूर्ण, संतोषप्रद एवं अन्तिम रूप से ₹0(शब्दों में) की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देते हैं ।

दिनांकित स्थान.....दिवस.....माह.....सन् 20.....

मोहर

रसीदी टिकट
नोडल एजेंसी / मास्टर पालिसी धारक
के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

भाग-द :

कृपया दावा राशि का भुगतान लाभार्थी के बचत बैंक खाता संख्यामें जमा करने हेतु चेक द्वारा बैंक को प्रेषित करें ।

बैंक का नाम एवं पता.....

मोहर

नोडल एजेंसी / मास्टर पालिसी धारक
के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर



भारतीय जीवन बीमा निगम
पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई

परिशिष्ट-IX

आम आदमी बीमा योजना

पालिसी संख्या.समूह बीमा / आ०आ०बी०यो०.....
(Policy No. GI/AABY/)

**छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रपत्र
(APPLICATION FOR SCHOLARSHIP)**

1. सदस्य द्वारा भरा जाना है

- अ. आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत सदस्य का नाम :
- ब. सदस्यता संख्या :
- स. पता :
- द. छात्र का नाम :
- य. पुत्र या पुत्री :
- र. स्कूल/संस्थान का नाम व स्थान :
- ल. छात्र की जन्मतिथि :
- व. कक्षा : शैक्षणिक वर्ष:

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने यह पूर्णरूप से समझ लिया है कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लाभ एक परिवार के दो बच्चों तक ही सीमित है और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के पाठ्यक्रम भी शामिल है) अध्ययनरत छात्रों को ही देय है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरा बच्चा गत शैक्षणिक वर्ष में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है।

सदस्य के हस्ताक्षर

2. विद्यालय / संस्थान द्वारा भरा जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे का उपर्युक्त दिया गया विवरण स्कूल / संस्थान के अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

.....
स्कूल / संस्थान के अधिकृत हस्ताक्षरी
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मोहर सहित

3. नोडल एजेंसी द्वारा भरा जाना है

1. नोडल एजेंसी का नाम:
2. पता:
3. योजना प्रारम्भ की तिथि /
योजना नवीनीकरण की तिथि

हम एतद्द्वारा यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध छात्रवृत्ति हितलाभ उपर्युक्त लाभार्थी को उपलब्ध करायेंगे और प्रारूप-XI के अनुसार उपभोग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेंगे ।

नोडल एजेंसी की मोहर

नोडल एजेंसी के अधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर



परिशिष्ट-X

भारतीय जीवन बीमा निगम
पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई

मास्टर पालिसी संख्या :

आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु अहर्ष छात्रों की सूची
List of Students eligible for Scholarship under Aam Admi Bima Yojana
(नोडल एजेंसी द्वारा पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई को प्रस्तुत किया जाना है)

क्रमांक	छात्र का नाम	संस्था/स्कूल का नाम	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	सदस्य का नाम	सदस्यता संख्या वर्ष/छमाही समाप्ति के लिए	धनराशि जो भुगतान की जानी है
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

तिथि..... मोहर

नोडल एजेंसी के अधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर



परिशिष्ट-XI

आम आदमी बीमा योजना

वितरण / उपभोग प्रमाणपत्र (Certificate of Utilisation)

मास्टर पालिसी संख्या :

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम से चेक संख्या दिनांक.....वास्ते रू० (शब्दों में रूपये.....) द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति निम्न छात्रों को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार वितरित कर दी गयी है ।

क्र. सं.	छात्रों के नाम	कक्षा	संस्थान/स्कूल का नाम	राशि	वितरण की तिथि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

तिथि..... मोहर

नोडल एजेंसी के अधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर